राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 अक्तूबर, 1994

क्रमांक 5196-ज-2-94/22256.—श्री रत्न लाल, पुत्र श्री भाले राम निवासी गांव सुन्दरपुर, तहसील रोहतक, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2718-ज-II-73/35903, दिनांक 29 नवम्बर, 1973 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29503, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा रबी, 1993 से 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री रत्न लाल की दिनांक 30 जनवरी, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रत्न लाल की विधवा श्रीमती दान कौर के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 5270-ज-2-94/22260.—श्री रामजी दास, पुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी गांव पंचलासा, तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 217-ज-I-77/7595, दिनांक 24 मार्च, 1977 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री रामजी दास की दिनांक 6 फरवरी, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रामजी दास की विधवा श्रीमती शान्ति देवी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 2 नवम्बर, 1994

क्रमांक 5207-ज-II-94/22531 श्री रण सिंह पुत्र श्री गोरधन निवासी गांव कथूरा तहसील गोहाना जिला सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (Iए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधीसूचना क्रमांक 829-ज-II-77/15121, दिनांक 16 जून, 1977 द्वारा 150 रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/-44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढाकर 300/-रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री रण सिंह उर्फ धीसा की दिनांक 9 फरवरी, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रण सिंह उर्फ धीसा की विधवा श्रीमति खजानी के नाम खरीफ 1992 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।